तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 19/2016 भूपेन्द्र सिंह बनाम परमजीत सिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
23.07.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। रिपोर्ट आई.एल.आर. पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए चक 2 एम.के. तह. रायसिंहनगर के मु.नं. 22 प.नं. 120/282 के कि.नं. 1–10–11, मु.नं. 19 प.नं. 120/281 के कि.नं. 1–10–11–20–21 तथा मु.नं. 7 प.नं. 120/280 के कि.नं. 1–10–11–20–21 में मुरब्बा लाईन से 8 फुट हटकर इन किलाजात में 3 फुट 6 ईंच गहरी पाईपलाईन प्रार्थी ने डाल रखी हैं। जो प्रार्थी के खेत मु.नं. 23 में बनी डिग्गी से मु.नं. 4 तक जाती हैं। जो मौका पर चालू हैं। अतः उक्त मौका पर चालू पाईपलाईन को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। रिपोर्ट भू.अभिलेख निरीक्षक का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण बाद तामील हाजिर नहीं आए हैं तथा ना ही कोई एतराज प्रस्तुत किया हैं। अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी हैं। मुताबिक भू. अभिलेख निरीक्षक उक्त पाईपलाईन मौका पर चालू हैं। यद्यपि राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क में पूर्व में चालू पाईपलाईन को स्वीकार करने का प्रावधान नहीं हैं। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर चालू पाईपलाईन को स्वीकार किए जाने पर कोई आपति पेश नहीं की हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। लिहाजा चक 2 एम.के. तह. रायसिंहनगर के मु.नं. 22 प.नं. 120/282 के कि.नं. 1–10–11, मु.नं. 19 प.नं. 120/281 के कि.नं. 1–10–11–20–21 तथा मु.नं. 7 प.नं. 120/280 के कि.नं. 1–10–11–20–21 में मुरब्बा लाईन से 8 फुट हटकर इन किलाजात में 3 फुट 6 ईंच गहरी मौका पर चालू पाईपलाईन स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner